



राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर
F.1(a)104/DPC 2023-24/Sr Astt/Estt/Ins-01163

Date : 13-06-2024

आदेश 100

विभाग के आदेश क्रमांक 499 दिनांक 06.03.2024 द्वारा निम्नांकित कार्मिकों के वर्ष 2022(01 जनवरी 2023) के अचल संपत्ति विवरण के अभाव में कनिष्ठ सहायक के पद से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति आदेश रोके गये थे। प्रकरण में संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग के पत्र क्रमांक प.4(29) वित्त/बीमा/2024-00010 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा कार्मिक (क-1) विभाग से प्राप्त राय के अनुसरण में इनके द्वारा वर्ष 2023 (01 जनवरी 2024) का अचल संपत्ति विवरण ऑनलाईन भरा जाने के फलस्वरूप गैर अनुसूचित क्षेत्र में वरिष्ठ सहायक की वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 06.03.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पे बैंड 5200-20200 (ग्रेड-पे.नं.10) (ग्रेड-पे-2800) (Level-8 in Pay Matrix) में पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी श्री/सुश्री/श्रीमती	वर्ग	चयन वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापन	विशेष विवरण
1	अनिता चौधरी पुत्री शीशपाल सिंह गढवाल	—	2023-24	01.04.2023	सीकर	
2	मोनिका शर्मा पुत्री रमेश कुमार शर्मा	—	2023-24	01.04.2023	सीकर	
3	वर्षा जांगिड़ पुत्री बनवारी लाल जांगिड़	—	2023-24	01.04.2023	सीकर	
4	पपीता पुत्री रामेश्वर लाल	—	2023-24	01.04.2023	चूरु	
5	अनीश कुमार गोठवाल पुत्र श्री रामकरण मीना	ST दिव्यांगजन	2023-24	01.08.2023	दौसा	

उक्त कर्मचारियों को पदोन्नति का कार्मिक लाभ रिक्ति दिनांक से तथा वास्तविक लाभ कार्यग्रहण दिनांक से दिया जाएगा। पदोन्नति के उपरान्त उक्त कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे। उक्त कार्मिक आदेश जारी होने की दिनांक से सात दिवस में पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अमित जौहरी)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

F.1(a)104/DPC 2023-24/Sr Astt/Estt/Ins-01163

Date : 13-06-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
- वरि.अति./अति./संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभाग कार्यालय जयपुर संभाग द्वितीय/बीकानेर संभाग/जिला कार्यालय सीकर/चूरु/दौसा को भेजकर लेख है कि उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यग्रहण करवाया जाकर कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवायें।
- अतिरिक्त निदेशक, (सिस्टम)/सिस्टम्स एनालिस्ट/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
- सम्बन्धित कर्मचारीगण।
- केडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक।
- सम्बन्धित सेवा पुस्तिका लिपिक/निजी पत्रावली/रक्षित

RajKaj Ref
7967288



Signature valid

Digitally signed by Amit Johari
Designation: Senior Additional
Director
Date: 2024.06.13 10:04:07 IST
Reason: Approved